VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1523)

Name of Candidate	RAVINDRA KUMAR		
Medium Eng./Hindi	HINDI	Registration Number	317130
Center	Mukherjee nagar	Date	26/12/2020

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. Enumerate the issues associated with functioning of the Central Information Commission. How can these issues be addressed?

(150 words) 10

केंद्रीय सूचना आयोग की कार्य प्रणाली से संबद्ध मुद्दों को सूचीबद्ध कीजिए। इन मुद्दों का कैसे समाधान किया जा सकता है?

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना संबंधी शिकायत निवारण हेतु सर्वोच्च संस्था के रूप मे केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) की परिकल्पना की गई है.

CIC की कार्य प्रणाली से संबद्ध मुद्दे

(1) कार्यकाल की निश्चितता का अभाव

RTI Act मे संशोधन CIC के कार्यकाल पर केंद्र सरकार के नियंत्रण को स्थापित करता है.

(2) CIC के सदस्यो की सेवा शर्तें केन्द्र की इच्छा शक्ति पर होने से CIC की स्वतंत्रता पर प्रश्नचिह्न लगता है.

(3) CIC मे सदस्यो की पद रिक्तता

वर्तमान मे अध्यक्ष व 6 अन्य सदस्य

(RTI 2005 अध्यक्ष + अधिकतम 10 सदस्य)

(4) ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से विरोधाभास (OSA)

(5) सदस्यो में सूचना की गुणवत्ता पूर्ण अदायगी संबंधी प्रशिक्षण का अभाव।

(6) राज्य सूचना आयोगो से समन्वय का अभाव

(7) सूचना अदायगी मे प्रौद्योगिकी का निम्न उपयोग

Don't write anything in the margin

(8) मुख्य ~~निर्वाचन~~ सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तो की योग्यता संबंधी अस्पष्टता।

समाधान

(i) विधिक समाधान

1. RTI व CIC को संवैधानिकता प्रदान करना। (2nd ARC)
2. OSA का निरसन
3. RTI संशोधन 2019 की पुनर्समीक्षा।
4. CIC की निष्पक्षता व स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

(ii) प्रशासनिक समाधान

1. CIC के सदस्यो का सूचना की गुणवत्तापूर्ण अदायगी संबंधी प्रशिक्षण eg. iGOT
2. सूचनाओ का अग्र सक्रिय प्रकटन eg. राजस्थान का जन सूचना पोर्टल
3. CIC मे ई-प्रशासन को बढ़ावा।
4. राज्य सूचना आयोगो से बेहतर समन्वय

(iii) जनता में व्यापक जागरूकता का प्रसार

इस तरह सुशासन के उद्देश्य से सूचना के अधिकार के सफल क्रियान्वयन हेतु मुद्दो का सफल प्रबंधन करते हुये केन्द्रीय ~~मुख्य~~ सूचना आयोग को सशक्त बनाया जाना चाहिये।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. In India, Governor's discretionary powers are wider than those of the President. Elaborate. (150 words) 10

भारत में, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ राष्ट्रपति की तुलना में अधिक व्यापक हैं। सविस्तार वर्णन कीजिए।

भारतीय राजव्यवस्था में विशेष परिस्थिति मे कार्यवाही हेतु राष्ट्रपति व राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियो का प्रावधान है। राष्ट्रपति व राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियो मे पर्याप्त विभिन्नता देखने को मिलती है.

राज्यपाल व राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियो की तुलना

राष्ट्रपति	राज्यपाल
1. संवैधानिक	संवैधानिक
(i) निलंबनकारी वीटो के संदर्भ	(i) Art 200 के तहत राज्य विधेयक को राष्ट्रपति को आरक्षित
(ii) पॉकेट वीटो	(ii) राष्ट्रपति शासन हेतु अनुशंसा (Art 365)
(iii) Art 78 के तहत प्रधानमंत्री से शासन संबंधी सूचना प्राप्त	(iii) जनजातीय व अनुसूचित क्षेत्रो संबंधी विवेकाधिकार
(iv) Art 143 के तहत न्यायपालिका से सलाह के संबंध में	(iv) Art 163(1) में संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियों का प्रावधान
	(V) Art 163(2) मे विवेकाधीन शक्तियों का निर्धारण करने की शक्ति।

संविधानेत्तर प्रावधान

(i) बहुमत प्राप्त दल के अभाव में सबसे बड़े दल को सरकार के लिये आमंत्रित करना।

(ii) अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर नई सरकार के गठन के संदर्भ में

राज्य में बहुमत प्राप्त दल के अभाव में सबसे बड़े दल को सरकार के चयन करने के संदर्भ में

- अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने के संदर्भ में नई सरकार की संभावनाओं के संदर्भ में विवेकाधीन शक्तियां

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की आवश्यकता / विशिष्टता

(i) Art 163 के तहत विवेकाधीन शक्तियों के निर्धारण संबंधी शक्ति।

(ii) Art 200 के तहत आरक्षित विधेयक के संदर्भ में

(iii) अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में विधियों को लागू करने के संदर्भ में

(iv) केन्द्र संस्था, संलग्न केन्द्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में भूमिका का निर्वहन करने में।

राज्यपाल व राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्तियों के तुलनात्मक अध्ययन के बाद हम कह सकते है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां अधिक व्यापक हो

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ न लिखें)

3. Highlight the objectives that were sought to be achieved through tribunals. How successful have they been in meeting them? (150 words) 10
उन उद्देश्यों को रेखांकित कीजिए जिन्हें अधिकरणों के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। वे उन्हें पूर्ण करने में कितने सफल रहे हैं?

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 323 A व 323 B के तहत अर्द्ध-न्यायिक संस्थाओं के रूप में अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान है.

अधिकरणों की स्थापना के उद्देश्य

(i) लंबित मामले के तीव्र निपटान हेतु।
↳ ADR के अनुसार 3.5 करोड़ मामले न्यायपालिका में लंबित।
(ii) न्यायालयों के कार्यों के अतिभार में कमी करने के उद्देश्य से।
↳ भारत में प्रति दस लाख जन संख्या पर 18 न्यायधीश (USA – 107/दस लाख)
(iii) शीघ्र न्याय के सिद्धान्त की स्थापना हेतु।
(iv) प्रशासनिक विवादों हेतु समर्पित अधिकरण की व्यवस्था।
eg CAT
(v) प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की स्थापना हेतु।
↳ अधिकरण सिविल प्रक्रियाओं के तहत कार्य हेतु बाध्य नही है.
(vi) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने हेतु

अधिकरणों का मूल्यांकन

(i) त्वरित न्याय के संदर्भ में सीमित सफलता।
अधिकरणों में औसत विवाद निस्तारण - 3 वर्ष (APR)

(ii) अधिकरणों की नियुक्ति केन्द्र सरकार की इच्छा पर निर्भर होने से अधिकार अधिकरणों में पद रिक्तता।

(iii) न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में कमी तथा शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त कमजोर हुआ है।

(iv) अधिकरणों की स्थापना के बावजूद भी वर्तमान में 3.5 करोड़ मामले लंबित है।

(v) आंकड़े दर्शाते है कि अधिकरणों की स्थापना से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बाधा उत्पन्न हुई है।

स्पष्टतः अधिकरणों की सीमित सफलता को देखते हुये न्याय की शीघ्र व निष्पक्ष अदायगी हेतु अधिकरणों को सशक्त किया जाना चाहिये।

Don't write anything in this margin
(इस भाग में कुछ भी न लिखें)

4. Instead of the government regulating Over-the-top (OTT) platforms, there have been calls for a self-regulating mechanism for such platforms, as in the case of print media. Discuss. (150 words) 10

सरकार द्वारा ओवर-द-टॉप (ओ.टी.टी.) प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने के स्थान पर, ऐसे प्लेटफॉर्मों के लिए एक स्व-विनियमन तंत्र हेतु आह्वान किया गया है, जैसे कि प्रिंट मीडिया के मामले में किया गया है। चर्चा कीजिए।

OTT प्लेटफॉर्म ऐसे मंच है जो फिल्मों, धारावाहिकों व वेबसीरिज हेतु एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराते है. ये ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म (OCCP) होते है।

OTT के स्व विनियमन तंत्र की आवश्यकता

① OTT का बढ़ता उद्योग आधार
 > 2019 मे OTT का उद्योग आधार लगभग 42 bn USD था।

② हेट स्पीच, हिंसा आदि का बढ़ावा देने से सामाजिक समरसता को खतरा।

③ अश्लील व कामुकता आधारित कंटेंट की बढ़ती प्रवृत्ति।

④ बढ़ते डिजिटल युग बच्चों तक OTT की पैठ इसे नियमित करने की आवश्यकता को जन्म देती है.

⑤ समानता का अभाव -
 फिल्मो - सेंसर बोर्ड
 OTT - सेंसर का अभाव

⑥ बढ़ती फेक न्यूज की प्रवृत्ति।

स्वनियमन के संदर्भ में चुनौती

① नियमन में निष्पक्षता का अभाव व तृतीय पक्ष की अनुपस्थिति।

② प्रिंट मीडिया की तरह NBA व प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) जैसी संस्थागत संरचना का अभाव।

③ स्वनियमन के प्रति OTT प्लेटफॉर्म्स में उत्साह में कमी।

④ वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा के रूप में देखा जाना।

⑤ यह OTT की लोकप्रियता में कमी कर सकता है.

हाल ही सरकार ने सरकारी कार्य आंवटन नियम 1961 में संशोधन कर OTT प्लेटफॉर्म को सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय (meity) के अधीन लाकर विनियमित किया जा रहा है इस तरह तृतीय पक्ष के अभाव में सरकार ने स्वनियमन की अवधारणा को विराम देते हुये OTT के संस्थागत विनियमन को बढ़ावा दिया है.

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Bring out the arguments surrounding the issue of some states reserving jobs for locals in the private sector. (150 words) 10

कुछ राज्यों द्वारा निजी क्षेत्रक में नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किए जाने से संबंधित मुद्दे के चतुर्दिक तर्कों को स्पष्ट कीजिए।

हाल ही मे हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्रक मे 75% नौकरियां स्थानीय लोगो के लिये आरक्षित किये जाने का प्रावधान किया है.

निजी क्षेत्रक मे स्थानीय लोगो को आरक्षण देने के पक्ष मे तर्क

① स्थानीय रोजगार के अवसर बढेंगे जिससे प्रवास हतोत्साहित होगा।

② स्थानीय क्षेत्रों से प्रतिभा पलायन कम होगा।

③ निजी क्षेत्रको मे स्थानीय रोजगार से श्रम की लागत कम होगी व निजी क्षेत्रक अधिक प्रतिस्पर्धी होगा।

④ रोजगार उपलब्ध कराना राज्यो का कर्तव्य (अनुच्छेद 39, 42)

संबंधित मुद्दे

① प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ाना व सहकारी संघवाद की भावनाओ मे कमी।

② निवास स्थान को रोजगार के लिये

अनिवार्य बनाना संसद की शक्ति हो
अतः संसद की शक्ति पर राज्य
विधानमण्डलों का अतिक्रमण स्थापित होगा।

③ न्यायिक समीक्षा मे निरस्त होने की प्रायिकता अधिक।

④ भूमि पुत्र की अवधारणा को बढ़ावा।

⑤ संविधान की सर्वोच्चता के विरुद्ध (अनुच्छेद 19 रोजगार की स्वतंत्रता

⑥ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मे बाधा।

⑦ निजी सेक्टरों को कुशल श्रमिको की उपलब्धता मे बाधा।

⑧ लोकलुभावनवाद व चुनावी राजनीति को बढ़ावा।

स्पष्टतः स्थानीय व्यक्तियो को निजी सेक्टर मे वरीयता दिया जाना संघवाद की भावना के विरुद्ध होगा। अतः सहकारी संघवाद से संचालित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

VISION IAS™

Don't write anything in the margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Identifying the key elements of Mission Karmayogi, briefly explain how it can lead to holistic development of the human resources and state's capacity. (150 words) 10

मिशन कर्मयोगी के प्रमुख तत्वों की पहचान करते हुए, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि इससे मानव संसाधन और राज्य की क्षमता का समग्र विकास कैसे हो सकता है।

सिविल सेवकों में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के रूप में मिशन कर्मयोगी चलाया जा रहा है.

मिशन कर्मयोगी के प्रमुख तत्व

① नियम आधारित से भूमिका आधारित प्रदर्शन को बढ़ावा।

② ऑफ लाइन लर्निंग के साथ-2 ऑन लाइन लर्निंग को बढ़ावा।

③ 46 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों को क्षमता विकास हेतु 510 करोड़ का बजटीय प्रावधान।

④ प्रशिक्षण में विश्व की सर्वोत्तम विषय वस्तु उपलब्ध कराना।

⑤ प्रशिक्षण मूल्यांकन हेतु iGOT जैसा एकीकृत प्लेटफॉर्म

⑥ प्रौद्योगिकी व तकनीक को बढ़ावा देते हुये इंडिया एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर (IndEA) को बढ़ावा देना।

मिशन कर्मयोगी से मानव संसाधन विकास

मिशन कर्मयोगी में प्रधानमंत्री सार्वजनिक

(1) मिशन कर्मयोगी में प्रधानमंत्री सार्वजनिक मानव संसाधन विकास परिषद की स्थापना की जायेगी।

(2) इससे सिविल सेवा की क्षमता व गुणवत्ता बढ़ेगी और मानव संसाधन के रूप में अच्छा विकास होगा।

(3) सरकार की योजनाओं व प्रशासन में पारदर्शिता, व जवाबदेहिता को बढ़ावा मिलेगा से जनता भी मानव संसाधन के रूप में विकसित होगी

(4) iGOT के तहत प्रशिक्षण

मिशन कर्मयोगी व राज्य क्षमता निर्माण

(1) इसके तहत क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना की जायेगी।

(2) सिविल सेवकों की उत्पादकता बढ़ने से तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से न्यूनतम सरकार व अधिकतम शासन को बढ़ावा मिलेगा।

(3) कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में निगरानी व समन्वय समिति से भी राज्य क्षमता में वृद्धि होगी।

इस तरह सिविल सेवा में सुधार के संदर्भ में मिशन कर्मयोगी को सफल बनाया जाना चाहिये।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. Highlighting the role played by ASHA workers in public health system of India, discuss the challenges faced by them. (150 words) 10

भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई गई भूमिका को रेखांकित करते हुए, उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत ग्रामीण क्षेत्रो मे सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतिम अभिकर्ता के रूप मे आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है.

आशा कार्यकर्ताओ की भूमिका।

(1) पूरक पोषण संबंधी भूमिका.

↳ आशा कार्यकर्ताओ के माध्यम से पूरक पोषण सामग्री ग्रामीण क्षेत्रो मे वितरित की जाती है.

(2) स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता हेतु ANM व AWW के निर्देशानुसार कार्य करना।

(3) ग्रामीण क्षेत्रो मे परिवार नियोजन संबंधी जागरूकता को बढ़ाना देना।

(4) सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली मे रेफरल सेवाओ को प्रदान करने मे महत्वपूर्ण भूमिका।

(5) कोविड-19 के संदर्भ मे सामाजिक दूरी व संक्रमण के फैलाव को रोकने मे विशिष्ट भूमिका।

(6) नई शिक्षा नीति मे अर्ली चाइल्ड केयर तथा ECCE के संदर्भ मे भूमिका।

आशा कार्यकर्ताओं के समक्ष चुनौतियाँ

① वित्तीय प्रोत्साहन की कमी।
eg. अपर्याप्त वेतन व भत्ता
② स्वास्थ्य संबंधी योग्यता का अभाव
eg योग्यता - आठवीं पास
③ कोविड-19 के संदर्भ में सुरक्षात्मक उपकरणों का अभाव
eg. PPE किट का अभाव
④ पितृसत्तात्मक समाज में आशा कार्यकर्ताओं की सीमित भूमिका।
⑤ ANM व AWW द्वारा आशा कार्यकर्ताओं का शोषण।
⑥ ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में आशा कार्यकर्ताओं का विरोध
eg. कठोर जाति व्यवस्था में आशा कार्यकर्ताओं की जाति की वरीयता
⑦ अवसंरचनात्मक अंतराल
eg. आंगनबाड़ी केन्द्रों की जर्जर स्थिति।

स्पष्टतः आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अनेक चुनौतियों का सामना किया जा रहा है। अतः स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इन चुनौतियों का यथाशीघ्र समाधान किया जाना चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. While internationalisation of higher education has many potential benefits for India, certain challenges will need to be addressed in this regard. Discuss. (150 words) 10

यद्यपि उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के भारत के लिए कई संभावित लाभ हैं, तथापि इस संबंध में कुछ चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता होगी। चर्चा कीजिए।

हाल ही मे उच्चतर शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ाना देने हेतु N गोपालस्वामी समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय महत्व के संस्थानो का चयन किया गया है.

अन्तर्राष्ट्रीयकरण के संभावित लाभ

1. शिक्षा के संदर्भ मे भारत की ऐतिहासिक भूमिका की पुनर्स्थापना।
   eg. नालंदा व तक्षशिला।
2. विदेशी छात्रो के भारत आने से एज्यूकेशन टूरिज्म को बढ़ावा व विदेशी आय का अर्जन।
3. उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता व पहुँच मे वृद्धि।
4. STEM क्षेत्र मे अनुसंधान को बढ़ावा।
5. भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानो मे विश्व स्तरीय शिक्षको का आगमन।
6. उच्चतर शिक्षा संबंधी सतत विकास लक्ष्यो की प्राप्ति मे आसानी।

चुनौतियां

① वित्त संबंधी बाधाएं
eg. भारत में शिक्षा पर व्यय GDP का 3% (विश्व का औसत 6%)

② विश्व स्तरीय शिक्षण व अनुसंधान संबंधी अवसंरचना की कमी। (ऑनलाइन अवसंरचना)

③ भारतीय उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का निम्न स्तर।

④ विकसित देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा।

⑤ भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (26%) में कमी।

⑥ छात्र - ~~अनुपात~~ शिक्षक अनुपात अत्यधिक उच्च (29:1)
(~~...~~)

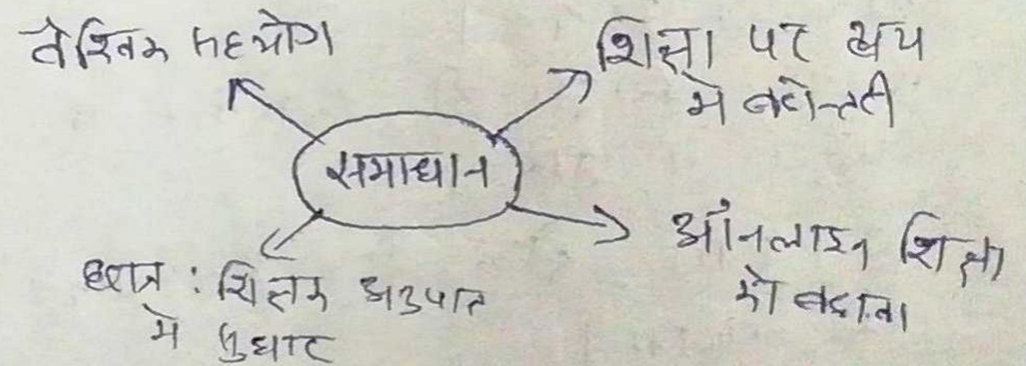

स्पष्टतः उच्चतर शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने हेतु बहुपक्षीय व बहुआयामी सुधारों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

9. India needs to adopt a more pragmatic stance in the context of the ongoing intra-Afghan talks. Discuss, in the light of India's engagement with Afghanistan.

(150 words) 10

भारत को वर्तमान में जारी अंतरा-अफगान वार्ताओं के संदर्भ में अधिक व्यावहारिक रुख अपनाने की आवश्यकता है। अफगानिस्तान के साथ भारत के जुड़ाव के आलोक में चर्चा कीजिए।

हाल ही मे USA - तालिबान समझौता के संदर्भ में अंतरा - अफगान शांति वार्ता कतर मे सम्पन्न हुई। इस संदर्भ मे भारत - अफगान संबंधो के संभावित प्रभावो का विवेचन विश्लेषण प्रासंगिक होगा।

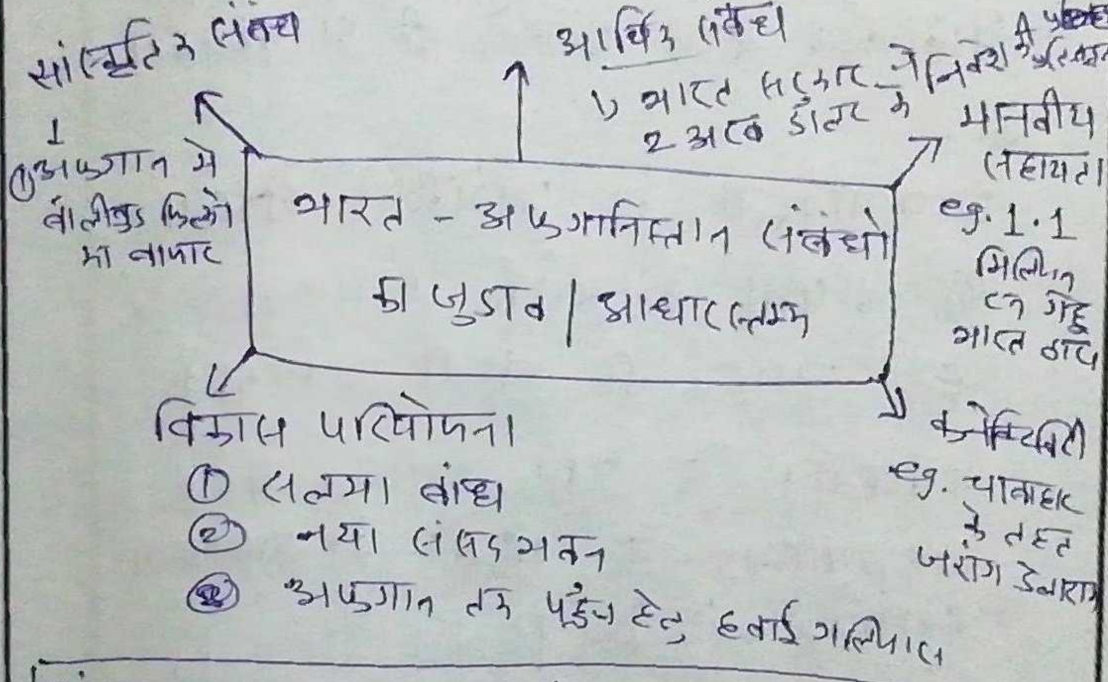

अंतरा अफगान वार्ता के संदर्भ मे अधिक व्यावहारिक रुख अपनाने की आवश्यकता

① अफगानिस्तान लुक वेस्ट व नेबरहुड फर्स्ट की विदेश नीति का स्वाभाविक मंच है

② भारत के मध्य एशिया मे आर्थिक निहित अफगान मे शांति स्थापना पर निर्भर करेगे।

③ भारत के तालिबान के साथ संबंधो की अभाव व तालिबान की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति।

④ तालिबान की पाकिस्तान के साथ संलिप्तता व भारत विरोधी स्वर।

⑤ भारत की अफगानिस्तान में विकास परियोजना व निवेश की सुरक्षा हेतु व्यावहारिक स्वर अपनाने की आवश्यकता है.

⑥ अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी से शांति स्थापना हेतु भारत की बढ़ती भूमिका।

⑦ पाकिस्तान के प्रति भारत व अफगानिस्तान के हितों में अभिसरण स्थापित करने हेतु।

इस तरह भारत को वर्तमान जारी वार्ता में अफगान केंद्रित, अफगान आधारित व अफगान के नेतृत्व में शांति वार्ता को बढ़ावा देना चाहिये। और तालिबान के साथ संबंधो की समीक्षा की जानी चाहिये।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. In the geo-strategic context of West Asia, the recent efforts to normalise relations between Israel and UAE may open new possibilities for India. Analyse. (150 words) 10

पश्चिम एशिया के भू-रणनीतिक संदर्भ में, इजरायल और यू.ए.ई. के मध्य संबंधों को सामान्य बनाने के लिए हाल ही में किए गए प्रयासों से भारत हेतु नई संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। विश्लेषण कीजिए।

हाल ही मे अब्राहम समझौते के तहत इजरायल व ~~अ~~ UAE के मध्य राजनयिक संबंधो को सामान्य ~~नया~~ करने का प्रयास किया गया है. इस अब्राहम समझोते मे भारत के लिये नई संभावनाये उत्पन्न की है.

भारत हेतु नई संभावनाये

① भारत के इजरायल व UAE दोनो के साथ संबंध मजबूत होगे।

~~② कु भारत हि~~

② इजरायल फिलीस्तीन संघर्ष मे कमी आयेगी जिससे ~~मध्य~~ पश्चिमी एशिया मे शांति स्थापित होगी और भारत के निवेश के नये अवसर उत्पन्न होगे।

③ भारत - UAE संबंधो में अमेरिकी विरोध का सामना नही करना पडेगा

④ कश्मीर मुद्दे पर भारत को मुस्लिम देशो को सहयोग मिलेगा।

(5) इससे आतंकवाद रोधी गतिविधियों पर रोक लगेगी और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के संदर्भ में प्रभाव पड़ेगा।

eg. मुस्लिम ब्रदरहुड, हमास, हिजबुल्लाह की स्वीकार्यता में कमी

(6) भारतीय प्रवासियों के संरक्षण हेतु UAE के साथ बेहतर संबंध स्थापित होंगे।

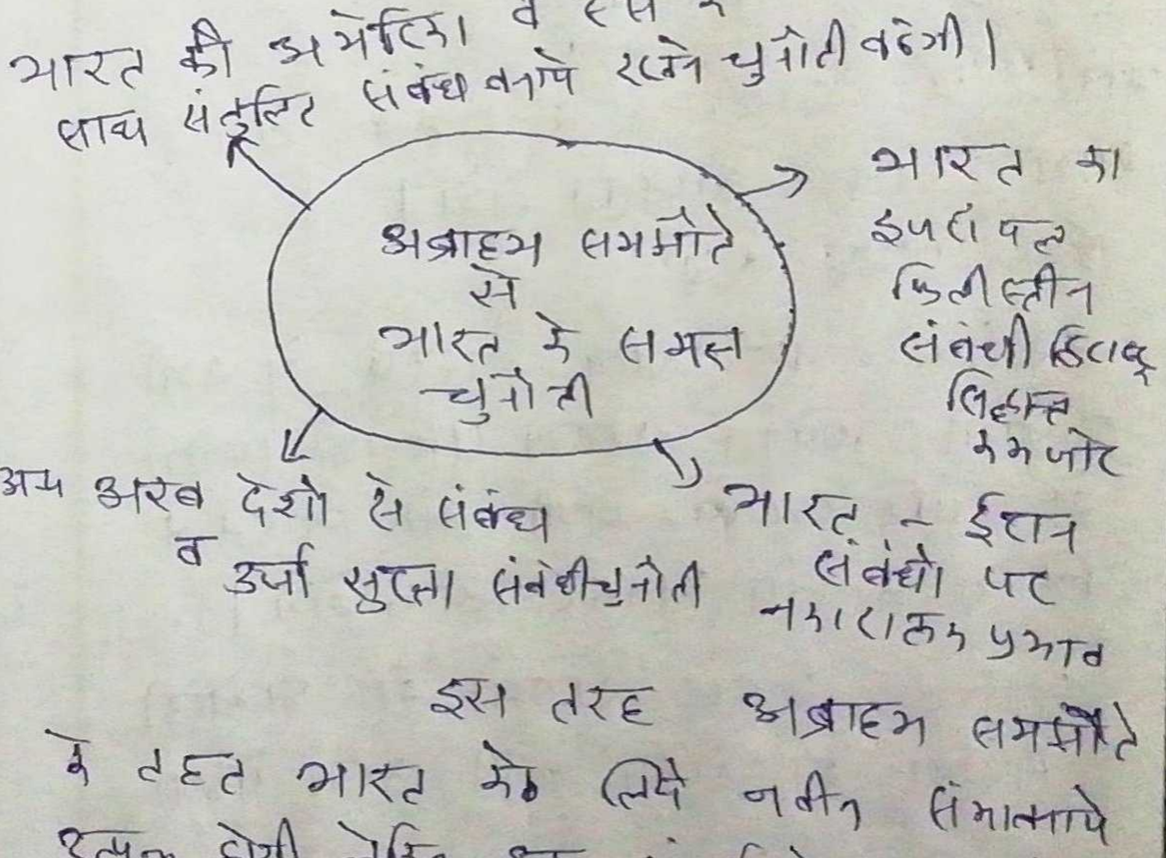

इस तरह अब्राहम समझौते के तहत भारत के लिये नवीन संभावनाये उत्पन्न होंगी लेकिन इस संदर्भ में चुनौतियों का प्रबंधन करते हुये व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. It is not only the content of election manifestos but also the past performance with respect to promises made in election manifestos that need to be regulated. Discuss. (250 words) 15

केवल चुनावी घोषणा-पत्रों की विषयवस्तु को ही नहीं, बल्कि चुनावी घोषणा-पत्रों में किए गए वादों से संबंधित विगत निष्पादन को भी विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

भारत के संसदीय लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था का प्रावधान है जिसमे विभिन्न दल चुनावी घोषणा पत्रों के माध्यम से मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास करते है. इस संदर्भ में इनकी विषयवस्तु व निष्पादन को विनियमित करने की आवश्यकता है.

चुनावी घोषणा पत्र की विषय वस्तु को विनियमित करने की आवश्यकता

1. चुनावी घोषणा पत्र मे लोकलुभावन वादे की बढ़ती प्रवृत्ति।
   eg. कर्जमाफी, मुफ्त बिजली
2. यह शासन के फ्री बिज गवर्नेंस मॉडल को बढ़ावा देता है.
3. चुनावी घोषणा पत्र भारत में एक प्रमुख मतदान व्यवहार निर्धारक के रूप मे है.
4. चुनावी घोषणा पत्र क्षेत्रवाद को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद को नुकसान पहुंचाते है.

9. स्थानीय लोगो को नौकरी मे आरक्षण

(5) निष्पक्ष व तटस्थ चुनावो के आयोजन मे बाधा।

(6) भारत में मतदाताओ मे साक्षरता की कमी है अतः चुनावी घोषणा पत्रो की विषयवस्तु को विनियमित किया जाना चाहिये।

(7) योग्य उम्मीदवार के बजाय अपराधी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारो को बढ़ाना।

चुनावी घोषणा पत्रो के विगत निष्पादन को विनियमित करने की आवश्यकता

(1) चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर निष्पादन संविधान की सर्वोच्चता के समक्ष रखता है

(2) चुनावी घोषणा पत्र की विषयवस्तु व निष्पादन मे अंतराल स्पष्ट हो.

③ चुनावी व वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा।

④ सत्ता दल द्वारा चुनावी घोषणा पत्र पर क्रियान्वयन केवल विजित क्षेत्रों में ही होता है.

⑤ इससे केन्द्र व राज्यो के संबंध सत्ता धारी दलो के आधार पर निर्धारित होंगे और सहकारी संघवाद को खतरा उत्पन्न होगा।

⑥ असममित संघवाद को बढ़ावा मिलेगा।

⑦ मतदाताओ का विभिन्न सरकारी योजनाओ व कार्यक्रमो से ध्रुवीकरण को बढ़ावा।

⑧ लोकतंत्र की मूल आत्मा के संदर्भ अल्पसंख्यको की हितो की उपेक्षा को बढ़ावा

इस तरह चुनावी घोषणा पत्र की विषयवस्तु के साथ-2 इसके विगत निष्पादन को भी विनियमित करने की आवश्यकता है.

12. In order to achieve a reduction in the pendency of cases and a return to the Supreme Court's original role as a final appellate court, setting up of a National Court of Appeal is the need of the hour. Discuss. (250 words) 15

लंबित वादों की संख्या में कमी लाने और उच्चतम न्यायालय को अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में उसकी मूल भूमिका में पुनः स्थापित करने के लिए, एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय स्थापित करना समय की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

भारत मे एकीकृत न्यायपालिका के संदर्भ मे अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप मे सर्वोच्च न्यायालय (भाग 5, अनुच्छेद 124-147) की व्यवस्था है.

हाल ही में लंबित वादो की बढती संख्या के संदर्भ मे एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है.

राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना की आवश्यकता

(1) लंबित वादो की अत्यधिक संख्या →
ADR के अनुसार भारत मे 3.5 करोड लंबित मामले है जिनमे से 65000 उच्चतम न्यायालय मे है.

(2) शीघ्र न्याय की भावना मे कमी →
भारत मे औसत निपटान समय - 3.7 वर्ष

(3) भारत में न्यायधीशो व न्यायालयो की अपर्याप्तता है.
- भारत - 18 न्यायधीश / दस लाख
- USA - 107 न्यायधीश / दस लाख

(4) ~~प्रत्य~~ सरकार सबसे बड़े प्रतिवादी के रूप मे स्थापित है.
↳ भारत मे 46% मामले मे सरकार प्रतिवादी है जिससे शीघ्र-न्याय की अनुपस्थिति मे सरकार का शासन बाधित होता है.

(5) भारत की विशाल भौगोलिक विस्तृता के संदर्भ मे एक उच्चतम-न्यायलय की अपर्याप्तता।

(6) अनुच्छेद 39A के तहत शीघ्र-न्याय व कानूनी सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य

(7) लंबित मामलो के कारण जेलो मे क्षमता से अधिक ~~कैदि~~ कैदी।

राष्ट्रीय अपील न्यायलय की स्थापना से चुनौतियां

(1) वर्तमान न्यायलयो मे अत्यधिक पदरिक्तता।

(2) ~~न्याय~~ एक अपील न्यायलय की स्थापना से उच्चतम न्यायलय व उच्च न्यालयो के कार्य क्षेत्र मे कमी आयेगी।

③ एकीकृत न्यायपालिका की भावना के विरुद्ध।

④ संविधान संशोधन की आवश्यकता।
वर्तमान मे Art 130 के तहत केवल क्षेत्रीय उच्चतम न्यायालय की पीठों की स्थापना की शक्ति

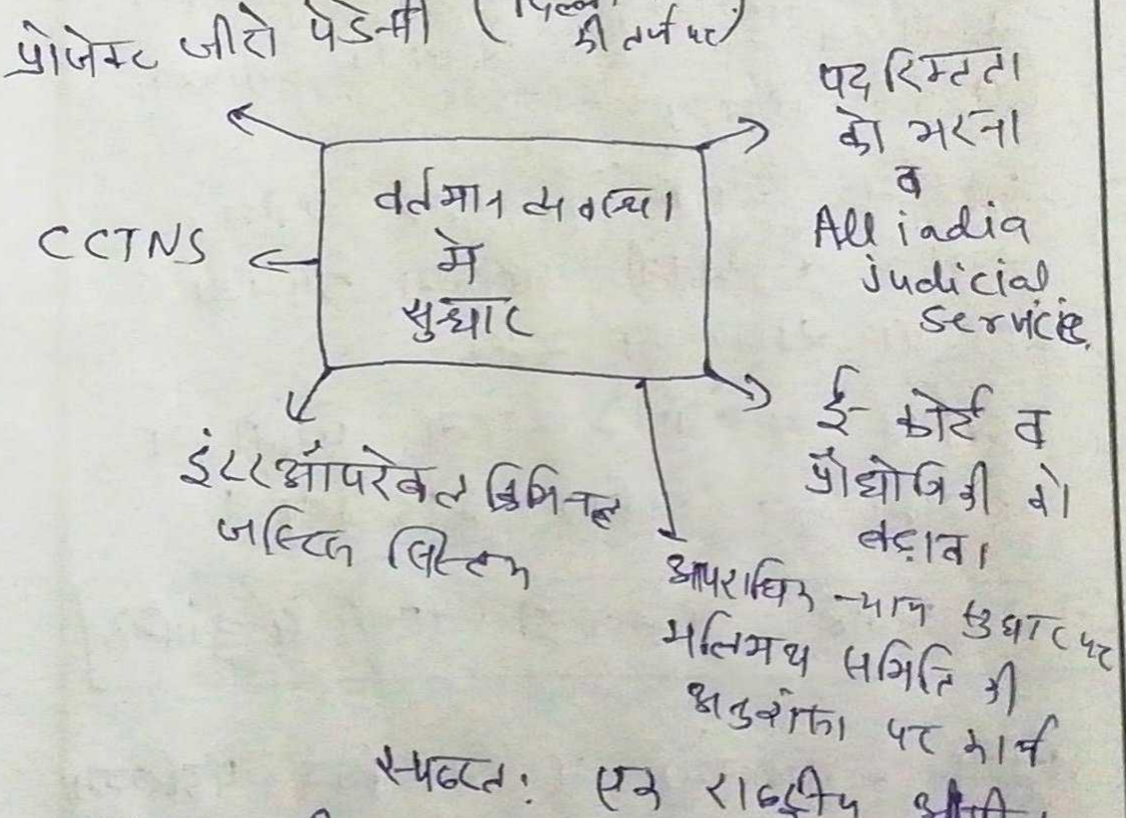

स्पष्टतः एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना से पूर्व वर्तमान प्रणाली मे व्याप्त चुनौतियों का समाधान करते हुये सुधारों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. The Constitution of India reflects an amalgamation of spirit of Indian freedom struggle and various administrative provisions of different acts of British rule in India. Explain. (250 words) 15

भारत का संविधान भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की भावना और भारत में ब्रिटिश शासन के विभिन्न अधिनियमों के अनेक प्रशासनिक प्रावधानों के मिश्रण को दर्शाता है। व्याख्या कीजिए।

भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा एक दीर्घकालिक प्रक्रिया के तहत निर्मित किया गया है जिसमे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष व ब्रिटिश शासन की औपनिवेशिक शासन के अनेक तत्वों का मिश्रण है.

भारतीय संविधान में स्वतंत्रता संघर्ष की भावना के तत्व

1. भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम के स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व जैसे तत्वों को संविधान की प्रस्तावना मे शामिल किया गया है.
2. भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का मूल ढांचा है.
   e.g. 1857 की क्रांति मे प्रदर्शित धर्मनिरपेक्षता
3. नेहरू रिपोर्ट व मौलिक अधिकारों संबंधी 1931 के प्रस्ताव की अधिकांश तत्व भारतीय संविधान मे समाहित.
   eg. वयस्क मताधिकार

(4) भारतीय संविधान में गाँधीवादी आदर्शों को सम्मिलित किया गया है
e.g. Art 43 मजदूरों की प्रावधान में नागरिकता ग्राम पंचायतों का गठन।

(5) भारतीय ~~स~~ स्वतंत्रता संग्राम के साम्यवादी तत्वों का समावेश, जैसे देश लोकतांत्रिक समाजवाद की व्यवस्था।

(6) संप्रभु राज्य की संकल्पना भी स्वतंत्रता आंदोलन से ही प्रेरित है।

ब्रिटिश शासन के विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों का संविधान ~~संरचना~~ में समावेशन

(1) भारतीय शासन अधिनियम 1935
→ इस अधिनियम के अधिकांश तत्व भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं।

→ इस अधिनियम के संघीय व्यवस्था, राज्यों में ~~हि~~ ~~सदन~~, विषयों का बंटवारा, आपातकाल उपबंध, संसदीय लोकतंत्र, आदि ~~से~~ ~~संवैधानिक~~ तत्वों को संविधान में शामिल किया गया है।

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ भी न लिखें)

(2) भारतीय शासन अधिनियम 1919

① केन्द्र में द्विसदनीय व्यवस्था।

② राज्यों के पृथक बजट का प्रावधान

③ बजट पर मतदान

(3) बजट पर विचार - विमर्श व बहस का प्रावधान (1892 के अधिनियम)

(4) अध्यादेश जारी करने की शक्ति व पोर्टफोलियो प्रणाली (1861 का अधिनियम)

(5) शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत (1784 के कंपनी अधिनियम)

(6) विधि के शासन की व्यवस्था भी ब्रिटिश अधिनियमों का ही प्रभाव है

स्पष्टत: भारतीय संविधान राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष की भावनाओं व विभिन्न ब्रिटिश अधिनियमों के प्रावधानों का मिश्रण है हालांकि विश्व के अन्य संविधानों की बेहतर प्रथाओं को भी इसमें शामिल किया गया है।

14. Mention the key components of the SVAMITVA scheme. Also, highlight its intended benefits and discuss the potential issues in its implementation. (250 words) 15

स्वामित्व (SVAMITVA) योजना के प्रमुख अवयवों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, इसके अपेक्षित लाभों को रेखांकित कीजिए तथा इसके कार्यान्वयन में संभावित मुद्दों पर चर्चा कीजिए।

हाल ही मे पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि व वन क्षेत्रो के अतिरिक्त भू सम्पत्ति के स्वामित्व की पहचान हेतु स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया।

स्वामित्व योजना के प्रमुख अवयव

(1) ग्रामीण क्षेत्र की अचल सम्पत्ति के स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र का आवंटन।

(2) भू सम्पत्ति के विवाद समाधान हेतु अधिकार तंत्र पर आधारित निपटान तंत्र।

(3) ड्रोन व प्रौद्योगिकी के उपयोग से संपत्ति/भू-स्वामित्व निर्धारण।

(4) सम्पत्ति/भू स्वामित्व संबंधी आंकडो का डिजिटलीकरण।

(5) भूमि रिके

अपेक्षित लाभ

1. सम्पत्ति संबंधी स्वामित्व के संबंध में विवादों में कमी।
2. विवाद समाधान तंत्र से सम्पत्ति के विवादों का शीघ्र समाधान।
3. पंचायती राज संस्थानों (PRI) का कर राजस्व एकत्रीकरण में वृद्धि (आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कर राजस्व PRI का क्षमता से 10% से भी कम)
4. सरकार की योजनाओं का बेहतर व प्रभावी क्रियान्वयन में सुधार। eg. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
5. विवादों के निपटान से न्यायालय में लंबित वादों में कमी।
6. ग्रामीण प्रशासन में ई-शासन को बढ़ावा।
7. भूमि अधिग्रहण संबंधी विलम्बताओं में आसानी से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा।
8. सम्पत्ति के स्वामित्व में लैंगिक समानता को बढ़ावा (वर्तमान में 15% सम्पत्ति पर महिलाओं का स्वामित्व)

कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे

1. ग्रामीण क्षेत्रों में भू सम्पत्ति सम्पत्ति आंकड़ो का अभाव।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना में कमी।

3. विवाद निवारण तंत्र में अधिकारियों को अत्यधिक अधिकार देने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता व जागरूकता का अभाव।

5. भूमि राज्य सूची का विषय होने के कारण राज्यों के साथ समन्वय का अभाव।

स्पष्टतः स्वामित्व योजना एक बहुउद्देश्यीय योजना है जिसकी सफलता सहकारी संघवाद व ग्रामीण क्षेत्रों की जन जागरूकता में निहित है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Sharing of information among all stakeholders in government functioning is a leading practice towards good governance. Discuss with examples.

(250 words) 15

सरकारी कार्यप्रणाली में सभी हितधारकों के मध्य सूचना को साझा करना सुशासन के लिए एक महत्वपूर्ण परिपाटी है। उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए।

WB के अनुसार किसी देश के सभी स्तर पर मामले के प्रबंधन संबंधी आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक प्राधिकार के अभ्यास में पारदर्शिता, जवाबदेहिता व उत्तरदायित्व की स्थापना ही सुशासन है.

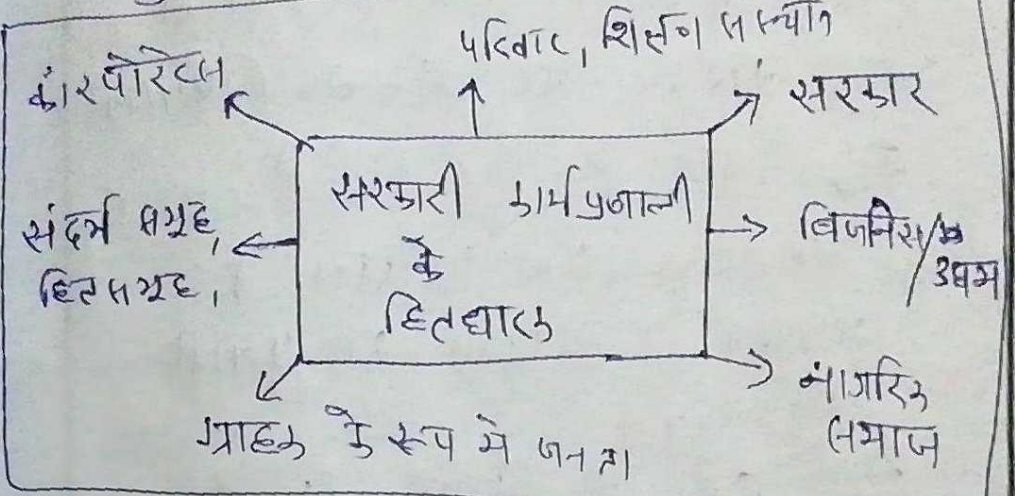

सूचना को साझा करना सुशासन की महत्वपूर्ण परिपाटी -

(1) 2nd ARC के अनुसार सूचना का सार्वजनिकरण (RTI) प्रशासन में सुशासन की कुंजी है.

(2) सभी हितधारकों में सूचना के साझीकरण को बढ़ावा देने से पारदर्शिता व जवाबदेहिता को बढ़ाता देगा।

③ यह हितधारकों के मध्य द्विपक्षीय संवाद को बढ़ावा देता है जिससे बेहतर कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिलता है.

eg. नागरिक चार्टर

④ सूचना के सशक्तिकरण से हितधारक के रूप में जनता सशक्त होती है और सरकार पर बेहतर निष्पादन हेतु दबाव आरोपित करती है

eg. सामाजिक लेखा परीक्षण के माध्यम से मनरेगा का प्रभावी क्रियान्वयन।

⑤ यह CAG की विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर विभिन्न नागरिक समाज समूहों द्वारा शासन में शुचिता स्थापना के हेतु सरकार पर दबाव डालते है

eg. ADR, प्रथम, असर (ASER)

⑥ सूचना के सशक्तिकरण से जनता व मीडिया एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा सकती है.

⑦ यह सरकार में शासन संबंधी सर्वोत्तम मॉडल की स्थापना हेतु

अति आवश्यक है.

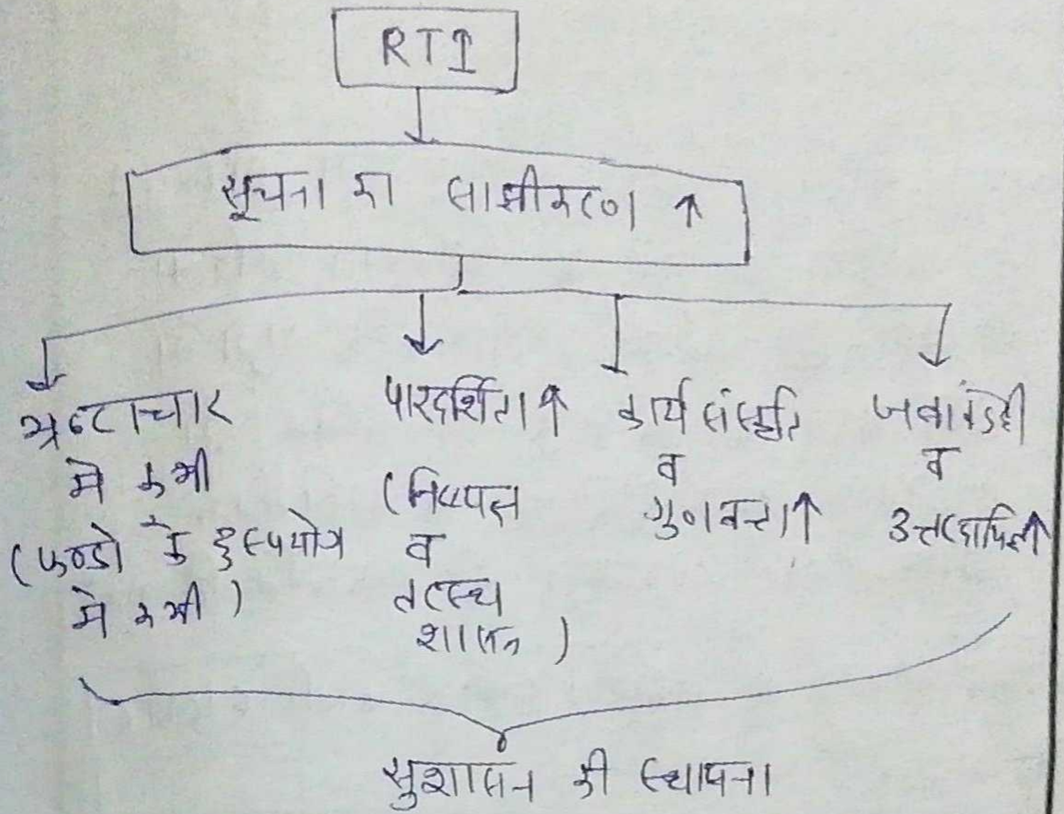

⑧ सूचनाओं के साझीकरण से लाल फीताशाही में कमी, शासन में दक्षता, प्रभावशीलता व मितव्ययता जैसे आर्थिक मूल्यों की स्थापना होती है.

इस तरह सूचना के साझीकरण को बढ़ावा देते हुए सूचना के अधिकार को बढ़ावा दिया जाना चाहिये साथ ही जन सूचना पोर्टल जैसे अन्य सक्रिय सूचना प्रकटीकरण संबंधी प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

16. India has an oversized and bloated government which acts as a drag on economic efficiency and growth. Critically evaluate. (250 words) 15

भारत में आवश्यकता से अधिक आकार और अतिशय दायित्वों को वहन करने वाली सरकार है, जो आर्थिक दक्षता एवं वृद्धि के संबंध में एक अवरोध के रूप में कार्य करती है। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

भारत सरकार एक भारी भरकम संस्था है जो अधिक आकार व अतिशय दायित्वों से ग्रसित है. वर्तमान सुशासन के युग मे इसे अवरोध के रूप मे देखते हुये न्यूनतम ~~सरकार~~ सरकार व अधिकतम शासन की संकल्पना की वकालत की जाती है.

अधिक आकार व अतिशय दायित्वों वाली सरकार का महत्व

1. यह शासन में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, तथा सत्ता के केंद्रीकरण से ~~उत्पन्न~~ उत्पन्न होने वाली निरंकुशता को कम करता है.
2. ~~स~~ सरकार का अत्यधिक आकार बहुस्तरीय नियोजन व नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देता है.
3. निर्णय निर्माण में बहुपक्षीयता व बहुआयामी दृष्टिकोण का समावेश करती है
4. भारतीय संघीय प्रणाली मे संघवाद

की भावना हेतु [struck] वृहद आकार की सरकार की आवश्यकता होती है.

आर्थिक दक्षता एवं वृद्धि के संबंध में एक अवरोध के रूप में

1. अधिक आकार व अतिशय दायित्व निर्णय निर्माण को शिथिल करते है और इज ऑफ डूइंग बिजनेस [struck] हतोत्साहित होता है.

2. यह लालफीताशाही को बढ़ाता है जिससे परियोजनाओं की आर्थिक लागत बढ़ती है.

3. यह शासन में अपारदर्शिता को बढ़ावा देता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है.

4. इससे शासन की लागत बढ़ती है और दक्षता, प्रभावशीलता व मितव्ययता जैसे आर्थिक मूल्यो की उपेक्षा होती है.

5. ऐसी सरकार में [struck] सेवा वितरण [struck] की मात्रा पर ध्यान दिया जाता है और सेवा वितरण

की गुणवत्ता प्रभावित होती है.

6. अधिक आकार विधि व नियमों की संख्या में बढ़ोत्तरी करता है तो आर्थिक निवेश की रेटिंग को प्रभावित करता है.

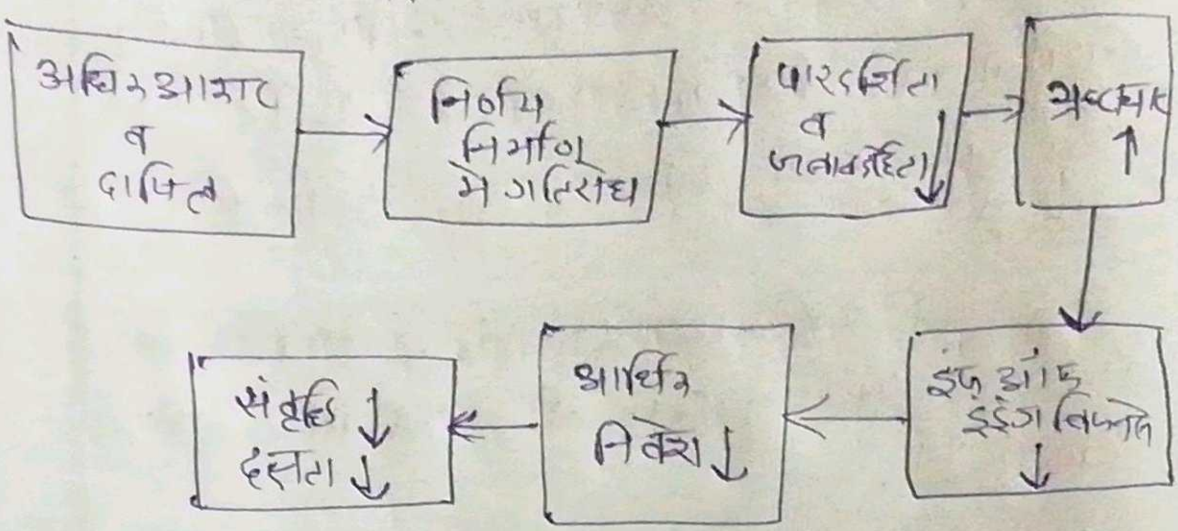

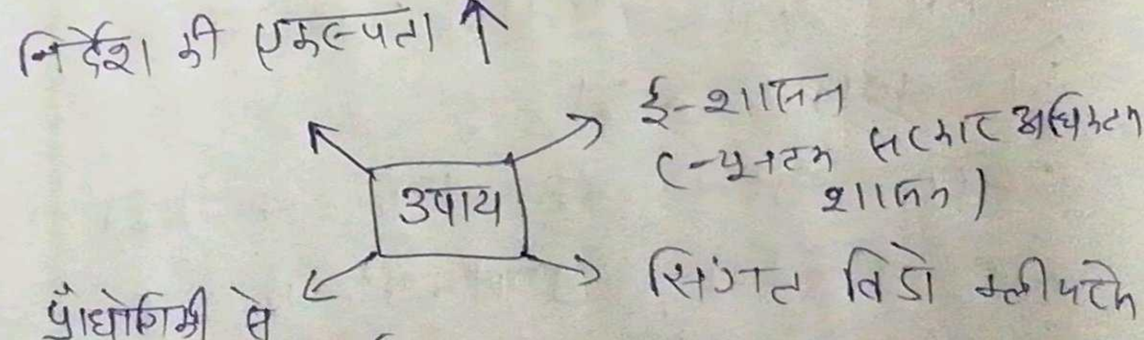

स्पष्टत: सुशासन के इस युग में प्रौद्योगिकी व तकनीकी के उपयोग पर सरकार के आकार में कमी करते हुये अधिकतम शासन को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Though the National Digital Health Mission is a step in the right direction for both patients and the healthcare system, concerns around data privacy need to be addressed. Examine. (250 words) 15

यद्यपि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन रोगियों और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, दोनों के लिए उचित दिशा में उठाया गया एक कदम है, तथापि डेटा गोपनीयता से जुड़ी चिंताओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। परीक्षण कीजिए।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) स्वास्थ्य रिकार्डो व देखभाल संबंधी डिजिटलीकरण की एक स्वैच्छिक योजना है जो स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र मे क्रान्तिकारी परिवर्तनो को प्रोत्साहित करेगी।

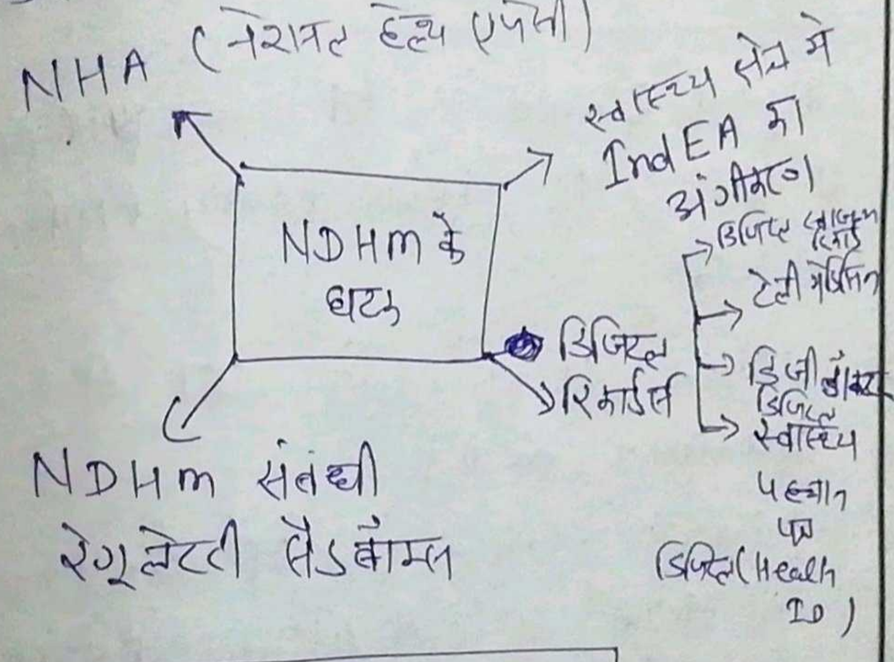

NDHM से रोगियो को लाभ

① रोगियो के रोग संबंधी इतिहास का बेहतर रिकार्डीकरण।

② रोगो के डायग्नोसिस मे आसानी।

③ टेली मेडिसीन व टेली चिकित्सा को बढ़ाना व स्वास्थ्य संबंधी

आउट ऑफ पॉकेट खर्चों में कमी।

(4) रोगियों में बढ़ती AMR की प्रवृत्ति के बेहतर निगरानी हेतु

(5) रोगियों के स्वास्थ्य संबंधी पहचान पत्रों के डिजिटलीकरण से रोग संबंधी डेटा बेस का बढ़ना।

NDHM से स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को लाभ

(1) स्वास्थ्य देखभाल में बिग डेटा एनालिसिस को बढ़ना और बेहतर निर्णय निर्माण को बढ़ाना।

(2) एकीकृत ~~डेटा~~ वर्क के लिये डेटा की उपलब्धता बढ़ेगी।

(3) स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में ई शासन को बढ़ाना व टेली चिकित्सा व रोबोटिक्स सर्जरी को बढ़ाना।

(4) लिंग निर्धारण तकनीक व PCPNDT कानून का बेहतर अधिनियमन।

(5) कोविड-19 जैसी महामारियों के बेहतर प्रबंधन व पूर्वानुमान संबंधी ~~डेटा~~ सटीकता में वृद्धि।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

डेटा गोपनीयता से जुड़ी चिन्तायें

डेटा के दुरुपयोग की संभावना व

① डेटा संरक्षण कानून का अभाव।

② नागरिकों की निजता संबंधी मौलिक अधिकार का उल्लंघन।

③ डेटा के सीमा-पार विसरण की स्वतंत्रता।

④ डेटा गोपनीयता संबंधी प्रौद्योगिकी व तकनीकी अवसंरचना की कमी।

⑤ डेटा के विश्लेषण हेतु गूगल, फेसबुक जैसी विदेशी कंपनियों पर अत्यधिक निर्भरता।

⑥ डेटा सुरक्षा संबंधी संस्थागत ढांचे की कमी।

इस तरह NDHM को सफल बनाने हेतु सर्वप्रथम डेटा गोपनीयता संबंधी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिये। इस संदर्भ में एक बी.एन. श्रीकृष्णा समिति की सिफारिश पर आधारित डेटा संरक्षण कानून को पारित किया जाना चाहिये।

18. One Nation One Ration card has the potential to significantly transform the lives of migrant workers in India. Analyse. (250 words) 15
वन नेशन वन राशन कार्ड में भारत में प्रवासी श्रमिकों के जीवन को महत्वपूर्ण रूप से रूपांतरित करने की क्षमता है। विश्लेषण कीजिए।

वन नेशन वन राशन कार्ड भारत में खाद्यान्न वितरण प्रणाली (PDS) के संदर्भ में एक राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी स्थापित करने की योजना है हाल ही भारत सरकार ने 2021 मार्च से इस योजना के क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा है.

वन नेशन वन राशन कार्ड के प्रमुख प्रावधान

- बायोमेट्रिक आधारित PDS
- (पॉइंट ऑफ सेल) मशीन (POS)
- खाद्यान्न वितरण का एकीकृत डाटाबेस
- राष्ट्रीय स्तर पर आधार प्रमाणित सिंगल राशन कार्ड
- स्थानीय उचित मूल्य की दुकान (FPS) से खरीद अनिवार्यता की समाप्ति
- प्रवासी श्रमिको के 50% खाद्यान्न के वितरण का प्रावधान

प्रवासी श्रमिको के जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता।

① ONOR प्रवासी श्रमिको को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

(2) प्रवासी श्रमिको की बचत को बढ़ावा मिलेगा। जिससे स्रोत को विप्रेषण की अधिक मात्रा प्राप्त होगी।

(3) यह प्रवासी श्रमिको की सौदा करने की क्षमता को बढ़ावा देगी जिससे प्रवासी श्रमिको के शोषण मे कमी आयेगी।

(4) यह पोषण की सुरक्षा के माध्यम से प्रवासी श्रमिको के स्वास्थ्य संकेतको मे सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देगी।

(5) PDS आधारित भ्रष्टाचार मे कमी के माध्यम से सरकार द्वारा बेहतर प्रवासी के हित मे योजनाओ को बढ़ावा देगी।

(6) कोविड - 19 ~~जैसे~~ जैसी महामारियो के संदर्भ मे रिवर्स माइग्रेशन जैसी स्थितियो को कम करेगी।

सरकार के लिये लाभ

1. PDS लीकेज मे कमी व भ्रष्टाचार मे कमी।
2. एकीकृत खाद्यान्न वितरण डाटाबेस का निर्माण
3. लक्षित PDS तथा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को बढ़ाना।

ONOR के क्रियान्वयन मे चुनौती

1. प्रौद्योगिकी व तकनीकी अवसंरचना की कमी।
   eg. पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीनो की कमी
2. ग्रामीण क्षेत्रों मे विद्युत पहुँच का अभाव
3. 14-15 % आबादी के पास आधार कार्ड का अभाव।
4. राज्यों के मध्य सहयोग की कमी

स्पष्टत: ONOR योजना प्रवासी श्रमिकों के जीवन मे महत्वपूर्ण रूपांतरण की क्षमता रखती है लेकिन इस संदर्भ मे व्याप्त चुनौतियों का समाधान किया जाने की आवश्यकता है

19. The World Trade Organization is buffeted by multiple challenges which have eroded the credibility of the organization. Analyse. (250 words) 15
विश्व व्यापार संगठन कई चुनौतियों से ग्रस्त है, जिसने संगठन की विश्वसनीयता को समाप्त कर दिया है। विश्लेषण कीजिए।

विश्व व्यापार संगठन 1995 मे उरुग्वे दौर की वार्ताओ के संदर्भ मे GATT को प्रतिस्थापित कर स्थापित किया गया। वर्तमान मे 164 देश इसके सदस्य है और यह विश्व के 97% व्यापार की निगरानी करता है।

प्रतिस्पर्धी व्यापार की स्थापना।

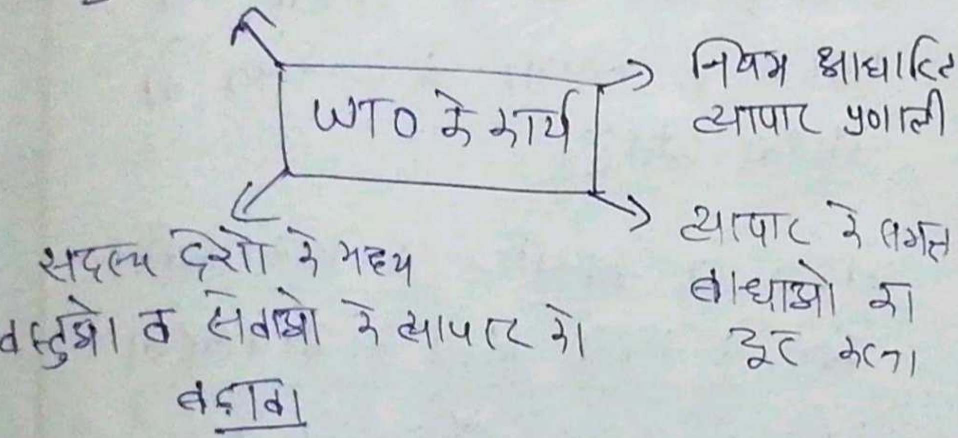

WTO की चुनौतियां व संगठन की विश्वसनीयता मे कमी

① विवाद निपटान तंत्र की अक्षमता

↳ WTO मे विवाद निपटान संकट विद्यमान है जिससे यह सदस्य देशो के मध्य विवादो का समाधान कर पाने मे असमर्थ रहा है.

② अमेरिका - चीन व्यापार युद्ध

→ WTO अब USA के प्रभाव से इस व्यापार युद्ध को समाप्त करने में असफल रहा है. इससे विश्व में व्यापार हतोत्साहित हो रहा है.

③ विश्व में व्यापार संरक्षणवाद की बढ़ती प्रवृति

→ संरक्षणवाद की इस प्रवृति ने WTO के नियमों के उल्लंघन को बढ़ावा दिया है.

④ WTO में विकसित व विकासशील देशों के मध्य हितों का अपवर्तन

→ eg. उत्तर - दक्षिण विभाजन
दक्षिण - दक्षिण सहयोग

⑤ विकासशील देशों द्वारा WTO पर विकसित देशों के हितों को बढ़ावा देने वाली संस्था के रूप में देखा जाना।

⑥ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (निर्णय निर्माण की सर्वोच्च निकाय) की बैठकों में पारदर्शिता का अभाव।

(7) कृषि क्षेत्र तथा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर (AoA) संबंधी समस्या के समाधान का अभाव।

(8) ई-कॉमर्स संबंधी नीतियों पर अभी तक निर्णय नहीं तथा विकासशील देशों का विरोध।

चुनौतियों के बावजूद WTO का महत्व

(1) विश्व के 97% व्यापार वर्तमान में भी WTO द्वारा ही विनियमित।

(2) विकासशील देशों के हितों का संरक्षण व MFN के दर्जे का महत्व।

(3) व्यापार आधारित प्रशुल्कों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका।

(4) अम्बर बॉक्स सब्सिडी पर नियंत्रण व निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका।

स्पष्टतः WTO एक निष्पक्ष एवं प्रतिस्पर्धी व्यापार परिवेश के लिये आवश्यक तंत्र है अतः WTO संबंधी सुधारों हेतु बहुपक्षीय व बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये।

20. BIMSTEC is indispensable for India's efforts in promoting regional cooperation and integration in the neighbourhood. Discuss. (250 words) 15

बिम्सटेक (BIMSTEC) पड़ोस में क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में किए जाने वाले भारत के प्रयासों हेतु अपरिहार्य है। चर्चा कीजिए।

बिम्सटेक बहुक्षेत्रीय, तकनीकी, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा 1997 में स्थापित एक अंतर सरकारी क्षेत्रीय संगठन है.

बिम्सटेक - विश्व की 22% जनसंख्या (लगभग)

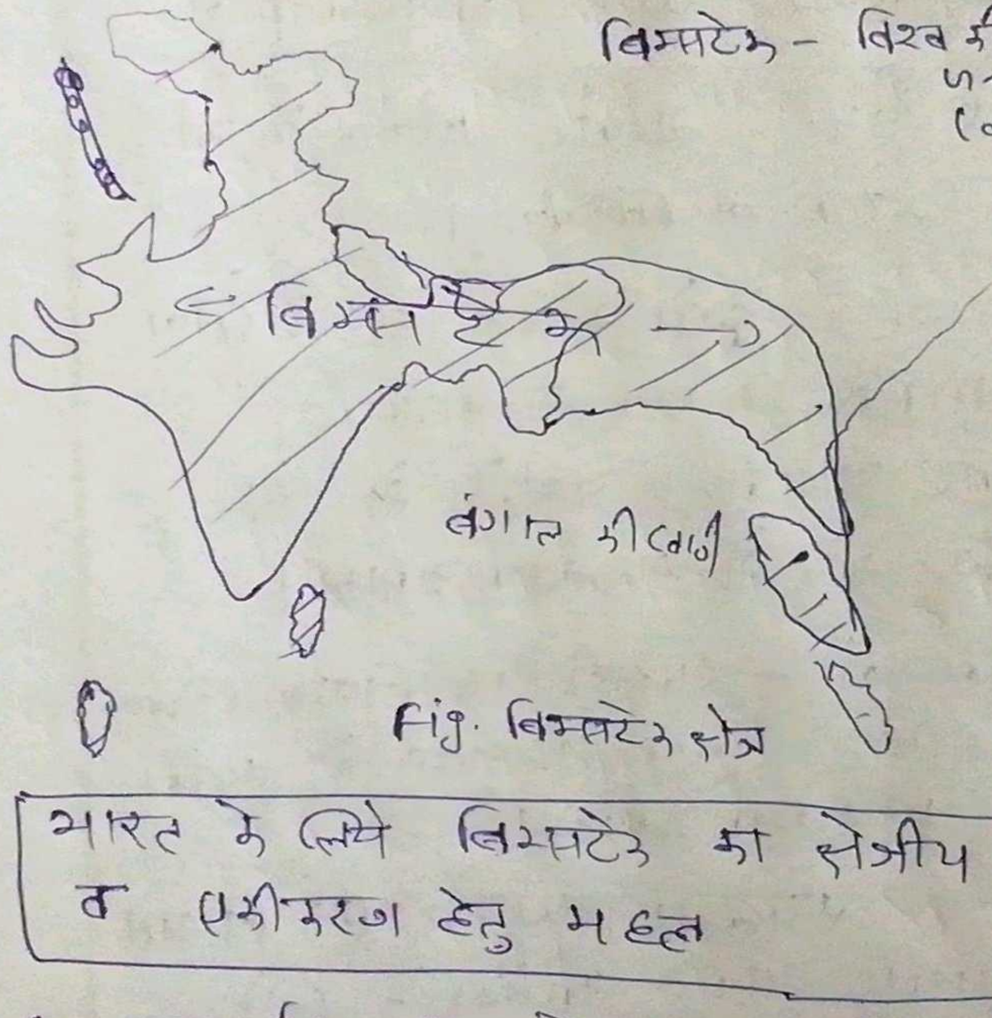

Fig. बिम्सटेक क्षेत्र

भारत के लिये बिम्सटेक का क्षेत्रीय सहयोग व एकीकरण हेतु महत्व

① एक्ट ईस्ट व नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक स्वाभाविक मंच के रूप में बिम्सटेक का महत्व।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

② सार्क के विकल्प के रूप में बिम्सटेक

» भारत - पाकिस्तान के विरोध के कारण सार्क का निष्क्रिय अंधकार में अतः क्षेत्रीय सहयोग हेतु आवश्यक बिम्सटेक आवश्यक है।

③ दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एक सेतु के रूप में बिम्सटेक की भूमिका।

④ विश्व का 25% व्यापार बंगाल की खाड़ी से सम्पन्न होता है अतः भारत की सुरक्षा प्रदाता की भूमिका हेतु बिम्सटेक अति आवश्यक है।

⑤ हिन्द महासागर मे तथा दक्षिण एशिया में चीन की उपस्थिति को प्रति संतुलित करने मे महत्वपूर्ण भूमिका।

⑥ बिम्सटेक मे व्यापार व निवेश की व्यापक संभावनाएं।

⑦ आंतकवाद की रोकथाम तथा वैश्विक मंचो पर भारत के सहयोग के समर्थन हेतु बिम्सटेक की भूमिका eg. UNSC.

⑧ सापेक्षनीति के संदर्भ में बिम्सटेक का व्यापक महत्व है.

भारत द्वारा BIMSTEC के संदर्भ में किये गये प्रयास

1. सागर - क्षेत्र में सभी के लिये विकास व सुरक्षा
2. मिशन सागर
3. कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट (म्यांमार)
4. BBIN मोटर व्हीकल समझौता
5. सार्क सेटेलाइट
6. उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनायें (HICDP)
7. भारतीय तकनीक व आर्थिक सहयोग (ITEC)

बिम्सटेक के संदर्भ में भारत के समक्ष चुनौती

- बिग ब्रदर सिंड्रोम से ग्रसित पड़ोसी मानसिकता
- क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति
- विकास परियोजनाओं में विलम्बता व लागत में वृद्धि
- भारत की वित्त संबंधी चुनौतियां
- हिन्द महासागर क्षेत्र की सुरक्षा संबंधी चिन्तायें

स्पष्टतः BIMSTEC के महत्व को देखते हुये भारत को बहुपक्षीय व बहुआयामी भूमिका निभाते हुये सहयोग व क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना चाहिये।